न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 28/2016 (223 आरटीए) जोगाराम के का.मु. बनाम राज.सरकार व अन्य

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00134)

1 जोगाराम पुत्र फूसाराम के कायम मुकाम
  1/1 शिवप्रकाश पुत्र जोगाराम,
  1/2 भूराराम पुत्र जोगाराम,
  1/3 गोपालराम पुत्र जोगाराम,
  1/4 सरोज पुत्री जोगाराम,
  1/5 मैनादेवी पुत्री जोगाराम,
  1/6 संजु पुत्री जोगाराम
  समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर जोधपुर।
2 तहसीलदर जोधपुर।
3 सचिव जोधपर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 16.02.2016 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 156/2006

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
2 रेस्पो. सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपसिंह भाटी।
3 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व वाद सं. 156/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व वाद सं. 156/2006 पेश कर कथन किया कि ग्राम चोखा के खसरा नं. 70 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 71 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा स्थित है जिस पर अपीलांट के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से खतेदारी दर्ज नहीं हुआ जिसकी खातेदारी घोषणा के लिए दावा पेश किया गया। दावा दर्ज होकर प्रतिवादीगणों की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व दो की ओर से जबाब पेश नहीं किया गया। रेस्पो. सं. 3 की ओर से जबाब पेश किया गया जिस पर तनकीयात बनाई जाकर दावे में साक्ष्य सबूत लिया जाकर वादी का वाद दिनांक 16.02.2016 को खारिज कर दिया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे के संबंध में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किए गए थे जिनको नहीं मानने का कोई कारण अपने निर्णय में नहीं बताया। रेस्पो. की ओर से जिन आदेशों का हवाला देकर निर्णय किया गया था जिनको न तो पेश किया गया था न ही प्रदर्शित करवाया गया था उक्त आदेश क्या थे एवं किसके संदर्भ में थे जिसका अपने निर्णय में किसी प्रकार की फाइंडिंग नहीं दी गई। अपीलांट का पुराना कब्जा मानते हुए तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि को सन् 1973 में नियमन एवं आवंटन हेतु सिफारिश की गई जिसके उपर किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट ने अपने निरंतर कब्जे में होने के दस्तावेज पेश किए गए थे लेकिन उनका कब्जा नहीं मानने में कानूनी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। नियमानुसार आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. की पालना अनुसार निर्णय पारित नहीं किया है। उपरोक्त कारणों से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खारिज करते हुए वादी का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपसिंह भाटी ने लिखित बहस पेश की एवं मौखिक बहस में भी कथन किया कि रेस्पो. सं. 3 जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 सही पारित किया गया है। किसी प्रकार की कानूनी भूल नहीं की गई। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं हैं, वादग्रस्त भूमि ग्राम चौखा के खसरा नं. 70 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नं. 71 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि थी जिसे जिला कलेक्टर जोधपुर ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जोधपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए रेस्पोडेंट संख्या 3 की मांग पर दिनांक 10 सितंबर 2004 को रेस्पोडेंट सं. 3 के नाम आवंटित कर दी थी जहां पर रेस्पो. सं. 3 के आवासीय, संस्थापक थीम पार्क बकरा मण्डी, सिने सिटी योजनाएं बनाई गई हैं। इस प्रकार वादग्रस्त खसरों सहित अन्य खसरों की भूमि को रेस्पो. सं. 3 के नाम आवंटित की गई व उक्त भूमि की कीमत भी रेस्पोडेंट सं. 3 द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई है व राजस्व रिकार्ड में भी वादग्रस्त खसरों की भूमि का अमल दरामद करते हुए नामांतरकरण सं. 478 नगर सुधार न्यास जोधपुर वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज कर दिया व मौके पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा भी तहसीलदार जोधपुर एवं पटवारी चौखा द्वारा रेस्पो. सं. 3 को दिनांक 15.10.2004 को सुपूर्द कर दिया गया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के मालिक एवं स्वामी रेस्पोडेंट सं. 3 ही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे व अपीलांट की अपील निरस्त किए जाने योग्य होने से यह अपील खारिज फरमावें।

उक्त विवादित खसरा की भूमि जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 22.08.1997 को रेस्पो. सं. 3 हेतु आरक्षित की गई थी जिसके विरुद्ध अपीलांट जोगाराम, गोविंदराम पुत्र फूसाराम जाति माली द्वारा एक अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील सं. 93/2006 जोगाराम व अन्य बनाम सरकार के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम भी दिनांक 20.06.2007 को खारिज की जा चुकी है। उक्त अपील अपीलांट द्वारा की गई थी अपीलांट को अपील के निर्णय की भली भांति जानकारी है, उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है एवं जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा विवादित खसरा की भूमि को अपने आदेश दिनांक 10.09.2004 के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 3 को आवंटित कर रेस्पोडेंट सं. 3 को 15.10.2004 को कब्जा सुपूर्द किया गया एवं नामांतरकरण सं. 478 रेस्पोडेंट के नाम दर्ज किया गया। राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. सं. 3 का नाम भली भांति दर्ज है। जिला कलेक्टर जोधपुर का आदेश दिनांक 10.04.2004 के विरुद्ध भी अपीलांट द्वारा एक और अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की गई जो अपील सं. 8/2014 अनवान जोगाराम बनाम सरकार जो अपीलांट की अपील भी दिनांक 27.08.2015 को खारिज की जा चुकी है। वह आदेश आज भी प्रभावी है जिसमें अपीलांट की ही अपील होने से अपीलांट को उक्त निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की भलीभांति जानकारी है इस प्रकार वर्तमान मे विवादित खसरा की भूमि के मालिक एवं स्वामी रेस्पो. सं. 3 जोधपुर विकास प्राधिकरण है इसलिए भी अपीलांट की अपील आधारहीन तथ्यों के आधार पर होने से अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं तथा ना ही अपीलांट के पास ऐसा वैद्य दस्तावेज ही है। अतिक्रमियों को ऐसी भूमि का आवंटन किए जाने का कोई कानून में प्रावधान नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपना कर पूर्ण सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं तनकीवार निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आदेश पारित किया गया है जो सही है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील आधारहीन तथ्यों के आधार पर होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के दावे का मुख्य आधार कब्जा एवं नियमन की सिफारिश है। नियमन की सिफारिश 1973 मे की गई। लेकिन अपीलांट का नियमन नहीं हुआ है। नियमन की सिफारिश मात्र होने से अपीलांट खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि थी जिस पर अपीलांट मात्र अतिक्रमी की हैसियत से कुछ समय के लिए काबिज हो सकता है। अतिक्रमी को समय–समय पर बेदखल किया जाता रहा है। अपीलांट ने जिन दस्तावेजों को पेश किया है उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी दिए जाने योग्य नहीं माना है। राजकीय भूमि होने से इस भूमि को नियमानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित कर दिया गया है तथा उसके पश्चात यह भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधीन होने से इससे संबंधित समस्त पत्रावली एवं रिकार्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांरित किया जा चुका है। इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण ने प्रकरण में जबाब भी प्रस्तुत किया है व तनकीयात भी कायम हुई हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता की बहस का भी उन्होंने समर्थन किया व अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में जो बिंदु उठाए हैं उनका बिंदु वाईज विवेचन किया जा रहा है।

- पहला बिंदु यह है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे के संबंध में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किए गए थे जिनको नहीं मानने का कोई कारण अपने निर्णय में नहीं बताया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री का अध्ययन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने खातेदारी

31/8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घोषणा के लिए संवत 2010 से वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के आधार पर दावा किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज पेश किए हैं उनमें से केवल एक दस्तावेज प्रदर्श–29 संवत 2010–13 जो संवत 2012 से पूर्व की है जो खसरा गिरदावरी है। लेकिन खसरा गिरदावरी में खसरा नंबर पठनीय नहीं हैं तथा खसरे का क्षेत्रफल भी अंकित नहीं हैं। खसरा गिरदावरी केवल कब्जे को दर्शाती है परंतु वह कब्जा किस हैसियत से है इससे ज्ञात नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने की तिथि 15.10.1955 अथवा संवत 2012 की जमाबंदी में काश्तकार का नाम दर्ज होना चाहिए। प्रकरण में संवत 2012 की जमाबंदी अथवा अन्य रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे संवत 2012 में अपीलांट वादी वादग्रस्त भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज था या नहीं प्रमाणित नहीं होता है। वादी/अपीलांट ने जो अन्य दस्तावेज पेश किए हैं उनमें खसरा परिवर्तनशील, जमाबंदी, ढालबांछ, नोटिस व रसीदें पेश की है। प्रदर्श–28 जमाबंदी संवत 2046–49 का अवलोकन किया गया जिसमें वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं. 70 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 71 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा सरकारी भूमि दर्ज है व अपीलांट खातेदार के रूप में दर्ज नहीं हैं। अपीलांट वादी द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्य रिकार्ड प्रदर्श–24 रजिस्टर्ड नोटिस है। प्रदर्श–25 व 26 रसीद व प्राप्ति हैं। प्रदर्श–27 धारा 91 का नोटिस, प्रदर्श 30 से 39 खसरा परिवर्तनशील संवत 2026 से 2045 तक के हैं। प्रदर्श 40 से 44 तक ढालबांछ संवत 2021 से 2025 तक हैं। तथा प्रदर्श–45 से 64 खसरा परिवर्तनशील संवत 2026 से 2052 है। ये सभी दस्तावेज अपीलांट के अतिक्रमी की हैसियत से हैं तथा संवत 2012 से काफी बाद के हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम में इन दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः अपीलांट का यह बिंदु स्वीकार योग्य नहीं हैं।

- दूसरा बिंदु यह है कि रेस्पो. की ओर से जिन आदेशों का हवाला देकर निर्णय किया गया था जिनको न तो पेश किया गया था न ही प्रदर्शित करवाया गया था उक्त आदेश क्या थे एवं किसके संदर्भ में थे जिसका अपने निर्णय में किसी प्रकार की फाइंडिंग नहीं दी गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया जिसमें वर्णित है कि वादी ने जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 22.08.1997 के विरुद्ध राजस्व अपील अधकारी जोधपुर की अपील सं. 93/2006 जोगाराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 20.06.2007 को तथा आवंटन आदेश के विरुद्ध की गई अपील सं. 8/14 जोगाराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 27.08.2015 को खारिज हो चुकी हैं। ऐसी अवस्था में वादी का

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 10.09.2004 के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं होता है। इन अपीलों में सभी दस्तोवेजों का भी पूर्णतया विवेचन है। अतः अपीलांट का यह बिंदु भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।

- तीसरा बिंदु यह है कि अपीलांट का पुराना कब्जा मानते हुए तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि को सन् 1973 में नियमन एवं आवंटन हेतु सिफारिश की गई जिसके उपर किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। इस संबंध में कानून की स्थिति स्पष्ट है कि नियमन की सिफारिश मात्र से वादी खातेदारी का अधिकारी नहीं होता है। नियमन की सिफारिश के बाद वादी/अपीलांट ने नियमन की कार्यवाही के लिए नियमन एवं भू-आवंटन कमेटी के समक्ष अपना आवेदन पेश किया था या नहीं स्पष्ट नहीं हैं। नियमन का अधिकार केवल भू-आवंटन एवं नियमन कमेटी को है। पत्रावली में भू-आवंटन एवं नियमन कमेटी के आवंटन अथवा अपीलांट के प्रकरण से संबंधित कोई कार्यवाही विवरण भी संलग्न नहीं हैं अतः भूमि का नियमन नहीं हुआ है। नियमन के बिना भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः अपीलांट का यह बिंदु भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।
- चौथा बिंदु यह है कि अपीलांट ने अपने निरंतर कब्जे में होने के दस्तावेज पेश किए गए थे लेकिन उनका कब्जा नहीं मानने में कानूनी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। नियमानुसार आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. की पालना अनुसार निर्णय पारित नहीं किया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का पुनः अवलोकन किया गया। जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2013 वादग्रस्त खसरा से संबंधित नहीं हैं। अन्य रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील व ढालबांछ पेश किए हैं वे संवत 2012 से काफी बाद के हैं जो अपीलांट का केवल अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा दर्शाते हैं। इनके आधार पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार देने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार अंकित किया गया है। अपीलांट का यह कथन असत्य है कि निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है। अतः यह बिंदु भी निराधार है।

9 इस प्रकरण में मूल रूप से यह बिंदु निहित है कि अपीलांट/वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 70 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नं. 71 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा पर कब्जे एवं नियमन की सिफारिश के आधार पर खातेदारी की घोषणा करने का दावा पेश किया है तथा बेदखली रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा चाही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में

3/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी देने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा भू– आवंटन के लिए 1970 के नियम बने हुए हैं, जिनके तहत ही खातेदारी दी जा सकती है अथवा भूमि का नियमन या आवंटन किया जा सकता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 6 का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 10.09.2004 के विरुद्ध वादी जोगाराम ने विरुद्ध सरकार के अपील सं. 8/2014 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहां प्रस्तुत की। उक्त अपील दिनांक 27.08.2015 को खारिज हो चुकी है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश को यथावत रखा है। ऐसी अवस्था में वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी सं. 3 की मांग पर दिनांक 10.09.2004 को आवासीय, संस्थापक, थीमपार्क, बकरामण्डी, सिनेसिटी योजनाओं के लिए सेट अपार्ट कर तत्कालीन नगर सुधार न्यास के नाम आवंटन कर दी थी उक्त आवंटन के आधार पर तत्कालीन जोधपुर विकास न्यायस जोधपुर के नाम नामांतरकरण सं. 478 भरा जाकर मौके पर तहसीलदार जोधपुर एवं पटवारी चौखा द्वारा प्रतिवादी सं. 3 को दिनांक 15.10.2004 को वास्तविक एवं भौतिक कब्जा भी सुपूर्द कर दिया गया था। उपरोक्तानुसार किए गए विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण पुराने कब्जे के आधार पर एवं नियमन की सिफारिश के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं तदनुसार अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

31/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00134)

अपील संख्या 28/2016

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.जोगाराम पुत्र फूसाराम के कायम मुकाम 1/1 शिवप्रकाश पुत्र जोगाराम 1/2 भूराराम पुत्र जोगाराम 1/3 गोपालराम पुत्र जोगाराम 1/4 सरोज पुत्री जोगाराम 1/5 मैनादेवी पुत्री जोगाराम 1/6 संजु पुत्री जोगाराम समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर।	बनाम	1.राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर जोधपुर। 2.तहसीलदार जोधपुर। 3.सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,जोधपुर दिनांक 16.02.2016 अन्तर्गत राजस्व वाद सं. 156/2006

यह अपील बतारीख 31/08/2018 बहाजरी अपीलांट अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपसिंह भाटी व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,एवं उपखण्ड अधिकारी,जोधपुर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 यथावत रखा जाता है ।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 31.08.2018 को जारी हो किया गया।

31/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

31/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर